**न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड**
**उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)**
**UPHP010052062024**

**Civil Revision/43/2024**
**Deepak Verma Vs. Rekha**
**सिविल रिवीजन संख्या 43 सन 2024**

दीपक वर्मा पुत्र स्व० सुरेन्द्र कुमार निवासी 16–2/295 आदर्श नगर कालोनी , मोदीनगर रोड हापुड़, तहसील व जिला हापुड़ – रिवीजनकर्ता/वादी

बनाम

1–श्रीमति रेखा पत्नी धमेन्द्र कुमार उम्र करीब 42 वर्ष
2– धर्मेन्द्र कुमार पुत्र करतार सिंह उम्र करीब 50 वर्ष
निवासीगण म०सं०–3746 गली रामनाथ पटवा पहाडगंज नई दिल्ली हाल निवासी मं०सं०–5172 दूसरी मंजिल सैक्टर–5 वैशाली निकट गरिमा गार्डन गाजियाबाद जिला गाजियाबाद।
3– सुरेन्द्र कुमार मृतक
3/1– श्रीमति प्रभा देवी पत्नी स्व० सुरेन्द्र कुमार
3/2– कु० तरूणा वर्मा पुत्री स्व० सुरेन्द्र कुमार
3/3– कु० गीता वर्मा पुत्री स्व० सुरेन्द्र कुमार
3/4– कु० रश्मि वर्मा पुत्री स्व० सुरेन्द्र कुमार सभी निवासीगण मं०सं0–16–2/295 मौहल्ला आदर्शनगर कालोनी मोदीनगर हापुड तहसील व जिला हापुड – रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण

## निर्णय

प्रश्नगत सिविल रिवीजन, रिवीजनकर्ता/वादी द्वारा विद्वान अवर न्यायालय/ सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड़ द्वारा वाद सं0 91 सन् 2014 दीपक वर्मा बनाम श्रीमती रेखा वर्मा आदि में पारित आदेश दि0 20–08–2024 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है । जिसके द्वारा रिवीजनकर्ता/वादी का प्रार्थना पत्र 74क निरस्त किया गया है ।

2. प्रश्नगत रिवीजन में आलोच्य निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि प्रश्नगत् निर्णयादेश व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय में कानून व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत है । प्रश्नगत निर्णयादेश व डिक्री/फोरमल आर्डर कल्पनाओ पर आधारित है अभिवचनो व प्रार्थनापत्र की परिस्थितियो को नजरअन्दाज करके आदेश किया है । अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश व फोरमल आर्डर भावनाओ में आकर विधि विरूद्ध पारित किया है । अवर न्यायालय में विविध वाद का प्रार्थनापत्र (इसी तरह का) स्वीकृत किया था लेकिन मूलवाद का प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है जो खण्डनीय है । ये ही प्रार्थनापत्र अब से पहले दिनांक

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.08.06 12:54:47 IST
Reason: judgement
Location: District and Sessions Court

26–3–2017 को भी दिया था लेकिन उस पर वाद लिपिक द्वारा ये कह दिया गया था कि पत्रावली अस्तित्व में नहीं है रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र 4ग के निस्तारण के बाद न्यायालय में दाखिल किया जावे और वह प्रार्थनापत्र वापस कर दिया गया था। अवर न्यायालय द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र दिनांक–14–5–20124 को निस्तारित किया और वादी ने अपना वारिसान संशोधन प्रार्थनापत्र 74क दिनांक 29–05–2024 को दिया था, शपथपत्र भी दिया था जो अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। वादी/निगरानीकर्ता द्वारा अपना साक्ष्य सहित प्रार्थनापत्र दिया था, जो अवैधानिक तरीके से अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया है । वादी द्वारा वारिसान संशोधन प्रार्थनापत्र के दिये जाने में कोई त्रुटि नही की है साबिक नम्बर प्रार्थनापत्र 4ग के निस्तारण के बाद ही किया है पहले न्यायालय द्वारा स्वीकार नही किया गया था। इस प्रार्थनापत्र दिनांक 29–5–2024 पर आदेश दिनांक 20–8–2024 के स्थिर रहने से वादी/ निगरानीकर्ता को अकथनीय हानि होगी क्योकि वादी के वाद में प्रतिवादी संख्या 3 वादी के पिता स्व० सुरेन्द्र कुमार थे जिनका निधन दिनांक–07–09–2014 को हो गया है। आदेश दिनांक 20–8–2024 व फोरमल आर्डर खण्डनीय है। वादी ने अपना साबिक नम्बर प्रार्थनापत्र दि0 14–8–2018 योजित किया था तभी वादी ने अपने पिता प्रतिवादी सं0 3 की मृत्यु की सूचना व संशोधन प्रार्थनापत्र दिया था जो आज भी सुरक्षित है लेकिन पत्रावली अस्तित्व में नहीं थी इसलिये प्रार्थनापत्र अदालत में ही लिया गया और ये प्रार्थनापत्र 4ग निस्तारण को दिया निस्तारण में करीब 8 वर्ष लग गये तथा निस्तारित होने पर ही यह प्रार्थनापत्र दिया गया जो अवर न्यायालय ने निरस्त किया है। अवर न्यायालय के आदेश की आड़ में प्रतिवादी सं0 1व 2 नाजायज रूप से वादी के दादालाही मकान से बेदखल करना चाहते है बेदखल की स्थिति में वादी बेघर हो जायेगा। वादी के वाद में प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। उक्त आधारो पर निगरानी स्वीकार की जाकर अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश/डिक्री दिनांकित–20–06–2024 खण्डित फरमाया जाकर वारिसान संशोधन की स्वीकृति प्रदान करने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है । समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Nagina Singh & Ors. VS Naga Singh & Ors. 2002 (93) R.D.841 (SC) प्रस्तुत की गयी है, जिसका मैंने ससम्मान अवलोकन किया।

3. रेस्पोडेंटस/प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिनुसार सही है । अतः निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4. निगरानीकर्ता/वादी एवं रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को मेरिट पर सुना । पत्रावली एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया।

5. उपरोक्त प्रकरण में अब इस न्यायालय को विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दि0 20.08.2024 में दिये गये निष्कर्ष एवं आदेश की शुद्धता , वैधता एवं औचित्य पर विचार करना है ।

6. सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी विद्वान अवर न्यायालय/ सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड़ द्वारा वाद सं0 91 सन् 2014 दीपक वर्मा बनाम श्रीमती रेखा वर्मा आदि में पारित आदेश दि0 20–08–2024 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है । जिसके द्वारा रिवीजनकर्ता/वादी का प्रार्थना पत्र 74क निरस्त किया गया है ।

न्याय का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि निगरानी न्यायालय को निगरानी के निस्तारण के समय सीमित क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है । निगरानी न्यायालय को केवल अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में की गयी अविधिकता, अनियमितता या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि देखनी होती है ।

7. पत्रावली के अवलोकन यह प्रकट होता है कि विद्वान अवर न्यायालय/ सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता गण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व तर्को के आधार पर पत्रावली का सम्यक् अवलोकन करने के उपरान्त यह आदेश पारित किया गया है कि –'' पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 74क के माध्यम से कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं०3 सुरेन्द्र की मृत्यु दिनांक 07.09.2014 को हो चुकी है जिसके बाबत वह प्रतिवादी स03 एकमात्र पुत्र स्वयं वादी एवं तीन पुत्रियां एवं पत्नी हैं, को प्रतिस्थापित किये जाने एवं प्रतिवादी सं० 3 के स्थान पर मृतक अंकित किये जाने की याचना की गयी है। इसके विपरीत प्रतिवादी सं०1 की मुख्य आपत्ति यह है कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी०पी०सी० के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 90 दिन के अन्दर दिया जाना था जबकि प्रतिवादी सं० 3 की मृत्यु के 9 साल 8 माह पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि अबैट हो चुका है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र में प्रावधान की अंकना नहीं की गयी है, की कौन से प्रावधान के तहत वह संशोधन व प्रतिस्थापित करना चाहता है। जबकि उसको प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी०पी०सी० के तहत दिया जाना चाहिए था। प्रतिवादी स03 सुरेन्द्र वर्मा की मृत्यु दिनांक 07.09.2014 को हुई है और उसके द्वारा प्रार्थनापत्र दि0 20.06.2014 को

प्रस्तुत किया गया है जो कि लगभग 9 साल 8 माह के विलंब प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रावधान के अनुसार प्रार्थना पत्र 90 दिन के अन्दर दिया जाना होता है जो कि प्रतिवादी सं० 3 के वारिसान के विरूद्ध वादी कार्यवाही अबैट हो चुकी है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र 74क पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।''

निगरानीकर्ता/वादी द्वारा कथन किया गया है कि ये ही प्रार्थनापत्र अब से पहले दिनांक 26–3–2017 को भी दिया था लेकिन उस पर वाद लिपिक द्वारा ये कह दिया गया था कि पत्रावली अस्तित्व में नहीं है रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र 4ग के निस्तारण के बाद न्यायालय में दाखिल किया जावे और वह प्रार्थनापत्र वापस कर दिया गया था। अवर न्यायालय द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र दिनांक–14–5–20124 को निस्तारित किया और वादी ने अपना वारिसान संशोधन प्रार्थनापत्र 74क दिनांक 29–05–2024 को दिया था, शपथपत्र भी दिया था जो अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। वादी ने अपना साबिक नम्बर प्रार्थनापत्र दि0 14–8–2018 योजित किया था तभी वादी ने अपने पिता प्रतिवादी सं0 3 की मृत्यु की सूचना व संशोधन प्रार्थनापत्र दिया था जो आज भी सुरक्षित है लेकिन पत्रावली अस्तित्व में नहीं थी इसलिये प्रार्थनापत्र अदालत में ही लिया गया और ये प्रार्थनापत्र 4ग निस्तारण को दिया निस्तारण में करीब 8 वर्ष लग गये तथा निस्तारित होने पर ही यह प्रार्थनापत्र दिया गया जो अवर न्यायालय ने निरस्त किया है। अवर न्यायालय के आदेश की आड़ में प्रतिवादी सं0 1व 2 नाजायज रूप से वादी के दादालाही मकान से बेदखल करना चाहते है बेदखल की स्थिति में वादी बेघर हो जायेगा। वादी के वाद में प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **"Nagina Singh & Ors. VS Naga Singh & Ors. 2002 (93) R.D.841 (SC) "** में यह अभिनिर्धारित किया हैं कि –

**Civil Procedure Code, 1908-Order 22 Rule 4 -Substitution- Application for stitution of legal representatives of deceased- Should not have been rejected -Even if there is a serious dispute as to the date of death of respondents- Delay,if any, in filing the application for substitution, ought to have been condoned It could have been compensated by award of costs. [Para 9]**

**व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908– आदेश 22 नियम 4–प्रतिस्थापना–मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रार्थनापत्र निरस्त नहीं किया जायेगा– यद्यपि कि उत्तरदाता की मृत्यु की तिथि का गम्भीर विवाद – प्रतिस्थापना प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के लिये विलम्ब यदि कोई हो, जमा किया जायेगा इसका हर्जाना लगाकर पूर्ति की जा सकती है।**

**“9. Though there is a serious dispute as to the dates of death of respondents No. 1 (d) and 1 (e), we are of the considered view that in the facts and circumstances of this case, the application for substitution of le-gal representatives of the aforesaid ap-pellants should not have been rejected, having regard to the fact that all the con-testing parties were on record and**

**these appellants were brought on record only as legal representatives of appellant No. 1 who had died during the pendency of the appeal. Having regard to the facts of the case and the interest of justice, the High Court ought to have condoned the delay, if any, in filing of the application for substi-tution and could have compensated the re-spondents by award of cost: This we con-sider appropriate having regard to the in-terest of justice. The parties have liti-gated since the year 1974 and it is only fair that there should be adjudication on merit."**

उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए अभिमत के आलोक में रिवीजनकर्ता के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि उसका प्रार्थनापत्र 74क हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य था ।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है,जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत मामले के तथ्यों के प्रकाश में अविधिक रूप से पारित किया गया है । विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः रिवीजनकर्ता/वादी का रिवीजन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

रिवीजनकर्ता/वादी का रिवीजन स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान अवर न्यायालय / सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड़ द्वारा वाद सं0 91 सन् 2014 दीपक वर्मा बनाम श्रीमती रेखा वर्मा आदि में पारित आदेश दि0 20–08–2024 अपास्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय/ सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड़ को निर्देशित किया जाता है कि वह रिवीजन में दिये गये निर्देशों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संदर्भित विधि व्यवस्था में दिए गए अभिमत के अनुपालन में रिवीजनकर्ता/वादी के प्रार्थना पत्र 74क पर उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत स्पष्ट आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अवर न्यायालय को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये । उभयपक्ष अवर न्यायालय के समक्ष दि0 17.08.2026 को उपस्थित हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांकः 06.08.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 06.08.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।